

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 जनवरी 2014—माघ 10, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2014

क्र. एफ-11-104-2012-सूअप्र-1-9.—यतः राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-11-11-2005-1-9, दिनांक 22 अगस्त 2005 द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए पहले से ही राज्य सूचना आयोग, मध्यप्रदेश का गठन कर लिया है;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में, राज्य सूचना आयोग, मध्यप्रदेश में निम्नलिखित पदधारी होंगे, अर्थात्:—

1. श्री करीम दाद खान	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
2. श्री गोपाल कृष्ण दण्डोटिया	राज्य सूचना आयुक्त
3. श्री आत्मदीप	राज्य सूचना आयुक्त
4. श्री जय किशन शर्मा	राज्य सूचना आयुक्त
5. श्री सुखराज सिंह	राज्य सूचना आयुक्त
6. श्री हीरालाल त्रिवेदी	राज्य सूचना आयुक्त

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि उस तारीख से, जिसको कि वे अपना पद ग्रहण करते हैं, पांच वर्ष के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) तथा (2) में वर्णित है.

No. F 11-104-2012-1-9.—WHEREAS, the State Government has already constituted the State Information Commission, Madhya Pradesh *vide* this Department's Notification No. F-11-11-2005-1-9, dated 22nd August, 2005 under sub-section (1) of Section 15 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) to exercise the powers conferred on it and to perform the functions assigned to it under the said Act;

NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the said Act, the State Information Commission, Madhya Pradesh shall consist of the following officials, namely:—

- | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Shri Karim Dad Khan | State Chief Information Commissioner |
| 2. | Shri Gopal Krishna Dandotiya | State Information Commissioner |
| 3. | Shri Aatmadeep | State Information Commissioner |
| 4. | Shri Jai Krishna Sharma | State Information Commissioner |
| 5. | Shri Sukhraj Singh | State Information Commissioner |
| 6. | Shri Heera Lal Trivedi | State Information Commissioner. |

The term of office of the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners shall be of five years from the date on which they enter upon their office or till they attain the age of sixty five years, whichever is earlier, as mentioned in sub-section (1) and (2) of Section 16 of the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.